



सत्यमेव जयते

भारत सरकार भारत का विधि आयोग

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और विद्युत अधिनियम,
2003 के अधीन टावर और पारेषण लाइन के संस्थापन के
कारण नुकसानी का प्रतिकर

रिपोर्ट संख्या 281

अगस्त, 2023

22वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. सं. 45021/1/2018-प्रशा.-III (एल.ए.) तारीख 21 फरवरी, 2020 द्वारा गजट अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया। 22वें विधि आयोग की अवधि का विस्तार आदेश सं. एफ.ए..ए. सं. 60011/225/2022-प्रशा.-III (एल.ए.) तारीख 22 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया।

विधि आयोग अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य सचिव, दो पदेने सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी

पूर्णकालिक सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति के. टी. शंकरन

(डॉ.) आनंद पालीवाल

प्रो डीपी वर्मा

सदस्य-सचिव

श्री के. बिस्वाल

पदेन सदस्य

डॉ नितेन चंद्रा, विधि सचिव,

डॉ रीटा वशिष्ठ, सचिव, विधायी विभाग

अंशकालिक सदस्य

श्री एम. करुणानिधि

प्रोफेसर (डॉ.) राका आर्य

विधि अधिकारी

श्रीमती वर्षा चंद्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी

श्री अतुल कुमार गुप्ता, उप विधि अधिकारी

विधि परामर्शी

श्री ऋषि मिश्र

श्री गौरव यादव

श्री शुभांग चतुर्वेदी

श्री देविंदर सिंह

सुश्री प्रिया राठी

सुश्री रुचिका यादव

यह रिपोर्ट www.lawcommissionofindia.nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

© भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग

Justice Ritu Raj Awasthi

(Former Chief Justice of High Court of Karnataka)

Chairperson

22nd Law Commission of India



न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी

(सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटका उच्च न्यायालय)

अध्यक्ष

**भारत के 22वें विधि
आयोग**



माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी

नमस्कार ।

मुझे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन टावरों और पारेषण लाइनों की स्थापना के कारण होने वाले नुकसानी के प्रतिकर पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 281 को अग्रप्रेषित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। विधि आयोग को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय से तारीख 07 जुलाई, 2022 के पत्र के माध्यम से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें आयोग से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अधीन टावरों के निर्माण के साथ-साथ विद्युत लाइनों के ड्राइंग के कारण प्रतिकर निकालने और अवधारित करने के तरीके और कार्यप्रणाली का सुझाव देने के लिए कहा गया।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जांच करने के बाद, आयोग ने यह आवश्यक समझा कि विद्युत के साथ-साथ दूरसंचार क्षेत्र के लिए प्रतिकर से संबंधित पद्धतियों पर अलग-अलग चर्चा की जाए ताकि एक आम आदमी दोनों में मौजूद पेचीदगियों को समझ सके।

उसी के अनुसरण में, आयोग ने दोनों क्षेत्रों में शामिल संस्थाओं के साथ व्यापक परामर्श किया। विद्युत क्षेत्र के संबंध में, आयोग ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल पारेषण उपायोगिता ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ चर्चा की। दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में, आयोग ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के साथ विचार-विमर्श किया।

दोनों क्षेत्रों में विद्यमान प्रतिकर की योजनाओं का अवलोकन करने के बाद, आयोग का यह सुविचारित विचार है कि दूरसंचार क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि समय और परिवेश के अनुकूल एक नया विधान यथाशीघ्र अधिनियमित किया जाए। इसके अलावा, भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियम, 2016 के अधीन निजी लाइसेंसधारियों के सापेक्ष में निजी भूमि मालिकों की स्थिति के संबंध में, सरकार को अब तक अनियमित संबंधों को विनियमित करने के लिए कुछ कार्यप्रणाली विहित करनी चाहिए। यह संपत्ति के न्यूनतम समेकित मूल्य/किराये के मूल्य या समेकित/किराये के मूल्य के प्रतिशत के रूप में हो सकता है।

भवदीय,

ह0/-

(न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी)

श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

कार्यालय पता : कमरा नं. 405, चतुर्थ तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
Office Address : Room No. 405, 4th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003

अवासीय पता : बंगला नं. 8, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली -110011

Residence : Bungalow No. 8, Tees January Marg, New Delhi- 110011

Email : rituraj.awasthi@gov.in Tel : 011-24654951 (D), 24340202, 24340203

Justice Ritu Raj Awasthi

(Former Chief Justice of High Court of Karnataka)

Chairperson

22nd Law Commission of India



न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी

(सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय)

अध्यक्ष

भारत के 22^{वें} विधि

आयोग



इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र के संबंध में आयोग का यह मर्यादित विचार है कि मार्ग अधिकार से संबंधित उपबंधों को विद्युत अधिनियम, 2003 में ही शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, भले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 2015 में प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, और बाद में 2020 में शहरी भूमि पर मार्ग अधिकार के लिए कई राज्यों ने भारत के संविधान की सूची II, अनुसूची 7 के अधीन 'भूमि' का राज्य का विषय होने के कारण प्रतिकर की मात्रा अवधारित करने के लिए अपनी नीतियां बनाई हैं। आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को अपनी नीतियों को 2015 और 2020 में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने पर विचार करना चाहिए ताकि परियोजना

लागत और भूमि मालिक द्वारा मांगे जाने वाले प्रतिकर में एकरूपता लाई जा सके। तदनुसार, यह रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

हार्दिक सम्मान के साथ,

भवदीय,

ह०/-

(न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी)

श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
विधि एवं न्याय मंत्रालय
भारत सरकार शास्त्री भवन
नई दिल्ली -110001।

कार्यालय पता : कमरा नं. 405, चतुर्थ तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
Office Address : Room No. 405, 4th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003

अवासीय पता : बंगला नं. 8, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली -110011
Residence : Bungalow No. 8, Tees January Marg, New Delhi- 110011
Email : rituraj.awasthi@gov.in Tel : 011-24654951 (D), 24340202, 24340203

अभिस्वीकृति

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने डब्ल्यू.पी. सं. 113268/2019 (जीएम-आरईएस) तारीख 11 अप्रैल, 2022 में अंतिम आदेश की एक प्रति के माध्यम से इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु के लिए संदर्भ प्राप्त होने पर विधि आयोग ने इस विषय की विधिक और तकनीकी बारीकियों को समझने के लिए सभी संबंधित हितधारकों, मुख्य रूप से संबंधित सरकारी विभागों और उपक्रमों के साथ विचार-विमर्श किया। आयोग ने विद्युत क्षेत्र में शामिल प्राधिकारियों अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और केन्द्रीय पारेषण उपायोगिता ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ परामर्श किया। दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में, आयोग ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के साथ परामर्श किया। हम निम्नलिखित सरकारी अधिकारियों के प्रति बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस विषय पर अपनी टिप्पणी और विचार देने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला:

1. श्री मोहम्मद अफजल, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
2. श्री आनंद सिंह, संयुक्त सचिव, दूरसंचार विभाग
3. श्री आशीष गुंदल, संयुक्त सचिव और निदेशक (नीति), दूरसंचार विभाग
4. श्री दीपक राव, निदेशक (ट्रांस), विद्युत मंत्रालय
5. श्री अभय चौधरी, निदेशक (परियोजना), पीजीसीआईएल
6. श्री बी श्रीकुमार, संयुक्त प्रमुख (विधिक), सीईआरसी
7. श्री राजेश कुमार, उप निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
8. श्री सौरोव चक्रवर्ती, मुख्य महाप्रबंधक, सीटीयूआईएल

9. श्री राम चंद्र, मुख्य अभियंता, कानूनी प्रभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
10. श्री अवधेश कुमार यादव, मुख्य अभियंता, सीईआरसी

आयोग इस रिपोर्ट को तैयार करने में श्री ऋषि मिश्रा, श्री गौरव यादव, श्री शुभांग चतुर्वेदी, श्री दविंदर सिंह, सुश्री प्रिया राठी और सुश्री रुचिका यादव, जिन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया है, द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सहायता को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है। हम इस रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने हेतु अनुसंधान और सहायता करने में उनके अथक प्रयासों की हार्दिक सराहना करते हैं।

विषय - सूची

क्र. सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	संक्षिप्ताक्षरों की सूची	
1.	प्रस्तावना	
	(क) आयोग का संदर्भ	
	(i) कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय	
	(ख) परामर्श	
	(ग) इस रिपोर्ट की संरचना	
2.	पृष्ठभूमि	
3.	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रासंगिक उपबंध	
4.	दूरसंचार क्षेत्र के अधीन प्रतिकर की स्कीम	
	(क) भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियम, 2016	
	(i) भूमिगत बुनियादी ढांचा	
	(ii) ओवरग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर	
5.	विद्युत क्षेत्र के अधीन प्रतिकर	
	(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)	
	(ख) अनुज्ञापतिधारी कार्य नियम, 2006	
	(ग) 2015 दिशानिर्देश	
	(घ) 2020 शहरी मार्ग अधिकार दिशानिर्देश	
6.	विभिन्न परिणियमों के अधीन अलग-अलग दृष्टिकोण	
7.	प्रासंगिक न्यायिक निर्णय	
8.	कानूनी प्रतिकर का विधिशास्त्र	
	(क) प्रतिकर की अवधारणा	
	(ख) न्यायसंगत, उचित और साम्यापूर्ण प्रतिकर	

	(ग) मूल्यांकन विचार	
9.	कानूनी प्रतिकर के लिए सिद्धांतों का अवधारण	
10.	निष्कर्ष और सिफारिशें	

संक्षेपों की सूची

1885 अधिनियम	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885
2003 अधिनियम	विद्युत अधिनियम, 2003
2006 के नियम	अनुज्ञप्तिधारी कार्य नियमावली, 2006
2013 अधिनियम	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
2016 के नियम	इंडियन टेलीग्राफ मार्ग अधिकार रूल्स, 2016
2015 के दिशानिर्देश	मार्ग अधिकार (मार्ग अधिकार) प्रतिकर के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश
2020 दिशानिर्देश	शहरी क्षेत्रों के लिए मार्ग अधिकार (मार्ग अधिकार) प्रतिकर के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश
वायु	ऑल इंडिया रिपोर्टर
बीएलजेआर	बिहार लॉ जर्नल की रिपोर्ट
कैल	कलकत्ता
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईआरसी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीटीयूआईएल	सेंट्रल पारेषण उपायोगिता ऑफ इंडिया लिमिटेड
बिंदी	दूरसंचार विभाग
	पूर्ण न्यायपीठ
जीएम	सामान्य प्रकीर्ण मामले
एचवीडीसी	उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा
कांत आर।	कर्नाटक उच्च न्यायालय रिपोर्ट
कर	कर्नाटक
केएलटी	केरल लॉ टाइम्स

केएसईबी	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
किलोवाट	किलो-वाट आवर
एमटीएस	मीटर
मेगावाट	मेगा-वाट
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पट	पटना
पीएलजेआर	पटना लॉ जर्नल रिपोर्ट
पीएलआर	पंजाब लॉ रिपोर्टर
आरईएस	अवशिष्ट
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र
एस. सी.	उच्चतम न्यायालय
एससीसी	सुप्रीम कोर्ट केसेज
एस. सी. आर.	सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर
एसएलडीसी	स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर
सप्ली.	अनुपूरक
टीडीआर	स्थानांतरण विकास अधिकार
वॉल्यूम	जिल्द
डब्ल्यू. पी.	रिट याचिका

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन टावर और पारेषण लाइन के संस्थापन के कारण नुकसानी का प्रतिकर

1. प्रस्तावना

1.1 स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत समकालीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। यह प्रगति विशेष रूप से परिवहन और संचार से संबंधित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में प्रगति से है। तथापि, बुनियादी ढांचे में किसी भी वृद्धि को शक्ति देने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। भारत ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में तेजी से प्रगति की है। आज, भारत एक विद्युत अधिशेष देश है, जिसकी स्थापित क्षमता 4 लाख मेगावाट से अधिक है।¹ फिर भी, एक सरपट अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और 1.4 बिलियन लोगों की विद्युत की खपत हमेशा की तरह चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

1.2 सभी के लिए विश्वसनीय, सस्ती, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान करने के लिए उत्पादन स्टेशनों से लोड केंद्रों तक विद्युत के सुचारू प्रवाह के लिए एक कुशल, समन्वित, किफायती और मजबूत विद्युत प्रणाली का विकास आवश्यक है। तथापि, एक अच्छी तरह से कार्य करने वाली पारेषण प्रणाली के लिए यह अनिवार्य है कि टावरों के निर्माण और पारेषण लाइनें बिछाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए।

1.3 पारेषण आयोजना पारेषण प्रणाली परिवर्धन आवश्यकताओं, उनके समय और आवश्यकता की पहचान करने की एक सतत् प्रक्रिया है। पारेषण आवश्यकताएं निम्न से उत्पन्न हो सकती हैं :

- (क) प्रणाली में नई पीढ़ी के परिवर्धन
- (ख) मांग में वृद्धि
- (ग) प्रणाली सुदृढीकरण जो बदले हुए लोड जनरेशन परिदृश्यों के अधीन नियोजन मानदंडों के अनुसार विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

1.4 इस पृष्ठभूमि में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 अधिनियम) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 अधिनियम) के अधीन प्रदान की गई मार्ग के अधिकार से संबंधित शक्तियां विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। दोनों अधिनियमों को एक साथ पढ़ने पर यह विद्युत पारेषण उपयोगिताओं को टावर स्थापित करने और सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों पर पारेषण लाइनें बिछाने का अधिकार देता है। तथापि, वे इन उपयोगिताओं द्वारा मार्ग अधिकार की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को हुई क्षति के लिए प्रतिकर के भुगतान का भी उपबंध करते हैं।

(क) आयोग को निर्देश

1.5 माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ न्यायपीठ ने तारीख 11 अप्रैल, 2022 के डब्ल्यू.पी. संख्या 113268/2019 (जीएम-आरईएस) के अपने अंतिम आदेश की एक प्रति के माध्यम से भारतीय विधि आयोग से अनुरोध किया कि वह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अधीन टावरों की स्थापना और पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए प्रतिकर तय करने

¹ समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी ने 'चार लाख मेगावाट से अधिक की विद्युत क्षमता के साथ भारत विद्युत अधिशेष राष्ट्र बन गया है', : <https://newsonair.gov.in/news?शीर्षक=भारत-विद्युत-अधिशेष-nation-with-electricity-capacity-of-over-four-lakh-Mega-Watt&id=447586>. इस पर उपलब्ध है।

और अवधारित करने के तरीकों और कार्य प्रणाली पर सलाह दे। आयोग को यह निर्देश 07 जुलाई, 2022 को प्राप्त हुआ।

(i) **कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय**

1.6 1885 अधिनियम की धारा 10 के अधीन 'नुकसानी के निर्वचन' के संबंध में **कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्य अभियंता, विद्युत पारेषण क्षेत्र बनाम गंगप्पा²** के मामले में यह मत व्यक्त किया कि टावरों और पारेषण लाइनों की स्थापना के परिणामस्वरूप भूमि को होने वाली क्षति पर पूर्ण और व्यापक प्रभाव दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि क्षति तत्काल/वर्तमान या भविष्य में हो सकती है। यह आगे कहा गया है कि:

“स्वीकार्यतः, चेतावनी के संकेत लगाए गए हैं कि कोई भी टावर के नीचे या आसपास किसी चीज की खेती नहीं कर सकता। यह न्यायालय इस तथ्य पर भी न्यायिक संज्ञान ले सकती है कि जब भी कृषि क्षेत्रों में पारेषण लाइन गिरने के कारण फसल के विनाश के कारण प्रतिकर की मांग करने वाली याचिकाएं दायर की जाती हैं, तो कई बार यह बचाव लिया जाता है कि किसान को विद्युत लाइनों के नीचे खेती नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राधिकारियों को इन दोनों स्थितियों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

1.7 इस बात की जांच करने पर कि क्या प्राधिकारियों ने ऐसा कोई अध्ययन किया है और टावरों के निर्माण और पारेषण लाइनों को बिछाने के संबंध में नुकसान के लिए प्रतिकर के निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले के साथ आए हैं, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर ध्यान दिया कि:

“... ऐसा कोई फार्मूला नहीं था जिस पर प्राधिकारी पहुंचे थे और न ही कोई अध्ययन किया गया था या कराया गया... जहां तक टावर के कारण कमी या विद्युत लाइनों के आरेखण का संबंध है।”

1.8 जब भी कोई टावर स्थापित किया जाना होता है और पारेषण लाइनें खींची जाती हैं, तो संबंधित अधिकारी भूमि का दौरा करते हैं, भूमि मालिक के साथ बातचीत करते हैं और क्षति के प्रतिकर के रूप में राशि तय करते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया :

“¹⁴ जहां तक वर्तमान गांव में याचिकाकर्ता की भूमि का संबंध है, 1,50,000/- रुपए टावर की स्थापना के लिए दिया गया है और भूमि की सीमा के आधार पर, कमी का नुकसान तय किया गया है। अन्य भूमियों के संबंध में, भूमि की समान सीमा के लिए अधिक राशि निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए, चित्रदुर्ग जिले और तुमकुर जिले में "सी" प्रकार के टॉवर के लिए 3,00,000/- रुपये की राशि निर्धारित की गई है और रामनगर जिले में 3,600/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की राशि निर्धारित की गई है और हासन जिले में 5,50,000/- रुपये की राशि निर्धारित की गई है।”

1.9 अब, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने के संदर्भ में प्रतिकर से संबंधित है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों और तदनुसूची नियमों को न्यायालय के ध्यान में नहीं

² रिट याचिका संख्या 113268/2019 (जीएम-आरईएस)।

लाया गया है और पूरे मामले में केवल टेलीग्राफ अधिनियम के उपबंधों के इर्द-गिर्द तर्क दिया गया है ।

1.10 किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए और स्पष्टता और सुविधा के लिए, आयोग ने निर्णय लिया कि विद्युत और दूरसंचार दोनों क्षेत्रों के भीतर मौजूद कार्यप्रणाली, यदि कोई हो, पर अलग-अलग चर्चा की जाए ताकि आम पाठक को दोनों की पेचीदगियों को समझने का अवसर मिल सके।

(ख) परामर्श

1.11 इसके अनुसरण में, आयोग ने विद्युत क्षेत्र में शामिल संस्थाओं अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, और सेंट्रल पारेषण उपायोगिता ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ परामर्श किया । इसी तरह, दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में, आयोग ने दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के साथ परामर्श किया ।

(ग) इस रिपोर्ट की संरचना

1.12 रिपोर्ट निम्नानुसार आगे बढ़ती है: सबसे पहले, 2003 अधिनियम और 1885 अधिनियम दोनों के अधीन प्रतिकर के मुद्दे से संबंधित पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है । दूसरा, 1885 अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों पर चर्चा की गई है क्योंकि वे दोनों क्षेत्रों के लिए एक जैसे हैं (1885 अधिनियम का भाग III विद्युत क्षेत्र पर लागू होता है)। तीसरा, दूरसंचार के संबंध में प्रतिकर से संबंधित सुसंगत नियमों की चर्चा की गई है । चौथा, विद्युत क्षेत्र में भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर के संदर्भ में 2003 अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और तदनुसूची नियमों और दिशानिर्देशों की चर्चा की गई है । पांचवां, प्रतिकर के कतिपय सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। और अंत में, आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है ।

2. पृष्ठभूमि

2.1 भारतीय तार अधिनियम, 1885 तब अधिनियमित किया गया था जब राज्य की भूमिका आज की तुलना में बहुत भिन्न थी। राज्य, जो आज अपने नीति निर्माण के केंद्र में अपने लोगों के कल्याण की धारणाओं का समर्थन करता है, उस समय केवल अपने स्वयं के औपनिवेशिक हितों को आगे बढ़ाने में रुचि रखता था। भारत के आकार और इसके प्रशासन में उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए, अंग्रेजों ने महसूस किया कि एक कुशल टेलीग्राफ नेटवर्क देश के सक्षम प्रशासन के लिए एक अनिवार्य शर्त थी। इसे प्रभावी बनाने के लिए, 1885 अधिनियम अधिनियमित किया गया जिसने टेलीग्राफ प्राधिकरण को सार्वजनिक और निजी संपत्ति दोनों पर टेलीग्राफ से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना करने का अधिकार दिया था।

2.2 समय के साथ, 1885 अधिनियम में संचार प्रौद्योगिकियों में प्रगति को समायोजित करने के लिए कई संशोधन हुए यह 1885 अधिनियम में वर्णित 'टेलीग्राफ' की वर्तमान परिभाषा से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है :

"कोई भी साधित्र, उपकरण, सामग्री या उपस्कर जो तार, दृश्य या अन्य इलेक्ट्रो-चुंबकीय उत्सर्जन, रेडियो तरंगों या हर्ट्ज़ियन तरंगों, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रिक या चुंबकीय साधनों द्वारा किसी भी प्रकृति के चिह्नों, संकेतों, लेखन, छवियों और ध्वनियों या बुद्धि के संचरण या रिसेप्शन के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग करने में सक्षम है।

स्पष्टीकरण - "रेडियो तरंगें" या "हर्ट्ज़ियन तरंगें" से कृत्रिम गाइड के बिना अंतरिक्ष में प्रति सेकंड 3,000 मीगा-चक्र से कम आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें अभिप्रेत हैं।"

2.3 1885 अधिनियम केंद्रीय सरकार को टेलीग्राफिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के उद्देश्य से विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है।³ इसमें यह भी उपबंध है कि केंद्रीय सरकार ऐसा करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, यह केंद्रीय सरकार को टेलीग्राफ प्राधिकारी को सभी या इसकी कोई भी शक्तियां, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सौंपने का अधिकार भी देता है।⁴

2.4 टेलीग्राफ प्राधिकरण यथासंभव कम नुकसान कारित करते हुए सार्वजनिक और निजी परिसरों में प्रवेश कर सकता है।⁵ 1885 अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि स्थानीय प्राधिकरण में निहित या उसके नियंत्रण में संपत्तियों के संदर्भ में, प्राधिकरण की अनुमति के बिना शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा।⁶ इसके अलावा, निजी संपत्तियों के मामले में, 1885 अधिनियम यह निर्धारित करता है कि उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए हितबद्ध सभी व्यक्तियों को पूर्ण प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।⁷ प्रतिकर की राशि का भुगतान टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा किया जाना है और यदि इसकी पर्याप्तता या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच इसे विभाजित करने के अनुपात के बारे में कोई विवाद है, तो जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा।⁸

³ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, धारा 4 (1)।

⁴ वही धारा 4 (2)

⁵ वही धारा 10 परंतुक (घ)

⁶ वही, धारा 10 परंतुक (ग)

⁷ वही, धारा 10 परंतुक (घ)

⁸ वही, धारा 16 (3) और 16 (4)।

2.5 विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत अधिनियम, 2003 लागू होता है। यह अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था और तीन विधियों, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को निरस्त किया गया। 2003 अधिनियम भारत में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 2003 के अधिनियम के लागू होने से पहले, उत्पादन और वितरण की गतिविधियां राज्य के स्वामित्व में थीं। 2003 के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक भारत में विद्युत उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने वाले अपने ढांचे के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था।

2.6 2003 के अधिनियम का भाग VIII 'कार्य' विषय से संबंधित है। भाग VIII के अंतर्गत, धारा 67 लाइसेंसधारियों के कार्यों से संबंधित है, जो अन्य बातों के साथ-साथ 'कार्यों' के संचालन से प्रभावित व्यक्तियों के निर्धारण और प्रतिकर से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। धारा 68, जो ओवर हेडलाइन से संबंधित है, में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि लाइन बिछाने के प्रयोजन से हटाए जाने वाले किसी वृक्ष या किसी अन्य संरचना के मामले में प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करना होगा।

2.7 इसके अतिरिक्त, 2003 के अधिनियम की धारा 164 समुचित सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह किसी लोक अधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत की आपूर्ति में लगे किसी अन्य व्यक्ति को 1885 के अधिनियम के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास धारित शक्तियों में से कोई भी शक्ति टेलीग्राफ के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या इस तरह से स्थापित या बनाए रखे जाने हेतु टेलीग्राफ लाइनें और चौकियां रखने के संबंध में प्रदान कर सकता है।

2.8 इसलिए दोनों अधिनियमों में प्रतिकर के पहलू से संबंधित उपबंध हैं। तथापि, दोनों में से किसी ने भी प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए कोई स्पष्ट पद्धति निर्धारित नहीं की है और स्पष्ट रूप से वर्णित तंत्र के अभाव में, ऐसी संभावना उत्पन्न हो सकती है जहां प्रतिकर में भिन्नता हो।

3. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रासंगिक उपबंध

3.1 धारा 4 में यह उल्लेख है कि :

“तारयंत्रों के संबंध में अनन्य विशेषाधिकार और अनुज्ञप्तियों के अनुदान की शक्ति - (1) भारत के भीतर तारयंत्रों की स्थापना, अनुरक्षण तथा चालन का अनन्य विशेषाधिकार केंद्रीय सरकार को होगा :

परंतु केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को भारत के किसी भाग के भीतर तारयंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों पर और ऐसे संदायों के प्रतिफलार्थ अनुदत्त कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे :

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नियमों के द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधधीन, जैसे वह ठीक समझती है, निम्नलिखित की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञा दे सकेगी -

(क) भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर पोतों पर और भारत में के या उसके ऊपर के या भारतीय राज्य क्षेत्रीय समुद्र के ऊपर के वायुयानों पर बेतार के तारयंत्र, और

(ख) भारत के किसी भाग के भीतर बेतार के तारयंत्रों से भिन्न तारयंत्र ।

(2) केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन अपनी सब शक्तियों या उनमें से किसी को तारयंत्र प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी । ऐसी प्रत्यायोजित किसी शक्ति का तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा प्रयोग ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधधीन किया जाएगा जैसे केंद्रीय सरकार उस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझे ।”

3.2 धारा 10 में कहा गया है कि :

“तारयंत्र लाइनें और खम्बे लगाने और उन्हें अनुरक्षित रखने की तारयंत्र प्राधिकारी की शक्ति - तारयंत्र प्राधिकारी, समय-समय पर, किसी स्थावर संपत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे या आर-पार तारयंत्र लाइन और ऐसी संपत्ति में या पर खंबे लगा सकेगा और अनुरक्षित रख सकेगा :

(क)

(ख) केंद्रीय सरकार उस संपत्ति में जिसके नीचे, ऊपर सहारे, आर-पार में या पर तारयंत्र प्राधिकारी कोई तारयंत्र लाइन या खंबे लगाता है, केवल उपयोग के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित नहीं करेगी, और

(ग) इसके पश्चात् इसमें उपबंधित के सिवाय, तारयंत्र प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग ऐसी किसी संपत्ति की बाबत, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित है या उसके नियंत्रण में या प्रबंधनाधीन है, उक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा, और

(घ) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में तारयंत्र प्राधिकारी यथासंभव अल्पतम नुकसान करेगा, और जब उसने उन शक्तियों का प्रयोग खंड (ग) में निर्दिष्ट संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के संबंध में किया हो तब वह **सब हितबद्ध**

व्यक्तियों को उन शक्तियों के प्रयोग के कारण उनको हुए किसी नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिकर देगा । (बल दिया गया) ”

3.3 धारा 16 में कहा गया है कि:

“स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति से भिन्न संपत्ति की अवस्था में धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उक्त अवस्था में प्रतिकर की बाबत विवाद -

(1)

(2)

(3) यदि धारा 10 के खंड (घ) के अधीन संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की पर्याप्तता की बाबत कोई विवाद पैदा होता है, तो वह दोनों विवादी पक्षकारों में से किसी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन उस जिला न्यायाधीश से किए जाने पर, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति स्थित है, उक्त न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(4) यदि उन व्यक्तियों के बारे में जो प्रतिकर पाने के हकदार हैं या उन अनुपातों के बारे में, जिनमें हितबद्ध व्यक्ति उसमें अंश पाने का हकदार है, कोई विवाद पैदा होता है तो ऐसी रकम, जिसे तारयंत्र प्राधिकारी पर्याप्त समझता है या जहां समस्त विवादी पक्षकारों ने निविदत्त रकम का पर्याप्त होना लिखित रूप में स्वीकारोक्त कर लिया है या रकम उपधारा (3) के अधीन अवधारित की गई है वहां वह रकम तारयंत्र प्राधिकारी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जमा करेगा और जिला न्यायाधीश पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् और उनमें से ऐसों को सुनने के पश्चात्, जो सुने जाने की वांछा करते हैं, **यथास्थिति, उन व्यक्तियों को, जो प्रतिकर पाने के हकदार हैं, या उन अनुपातों को, जिनमें हितबद्ध व्यक्ति उसमें अंश पाने के हकदार हैं, अवधारित करेगा ।**

(5) विवाद का जिला न्यायाधीश द्वारा उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किया गया प्रत्येक अवधारण अंतिम होगा

परंतु इस उपधारा की कोई बात तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई पूरा प्रतिकर या उसका कोई भाग उस व्यक्ति से, जिसे वह मिला है, वाद द्वारा वसूल करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा ।” (बल दिया गया)

3.4 धारा 17 इस प्रकार है:

“स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति से भिन्न संपत्ति पर की तारयंत्र लाइन या खंबा हटाना या बदलना -

(1)

परंतु यदि धारा 10 के खंड (घ) के अधीन प्रतिकर दिया जा चुका है तो वह अध्यक्षता करते समय तारयंत्र प्राधिकारी को वह रकम, जो उस हटाए जाने या बदले जाने के व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित हो अथवा प्रतिकर के रूप में संदत्त रकम की आधी रकम, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, वह निविदत्त करेगा ।

(2) यदि तारयंत्र प्राधिकारी अध्यक्ष के अनुवर्तन में कार्यलोप करता है, तो अध्यक्ष करने वाला व्यक्ति उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति स्थित है, ऐसे हटाने या बदलने का आदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर स्वविवेकानुसार या तो उसे अस्वीकृत कर सकेगा या तारयंत्र लाइन या खंबे को, उस संपत्ति के किसी अन्य भाग में या उच्चतर या निम्नतर तल में हटाने के लिए या उसके रूप को बदलने के लिए आत्यंतिक रूप से या शर्तों सहित आदेश दे सकेगा और इस भांति दिया गया आदेश अंतिम होगा।”

3.5 धारा 18 में कहा गया है कि:

“तारयांत्रिक संचार में विघ्न डालने वाले पेड़ों को हटाना -

(1) यदि किसी तारयंत्र लाइन के निकट खड़ा या पड़ा हुआ कोई पेड़ तारयांत्रिक संचार में विघ्न डालता है या उससे विघ्न पड़ने की संभावना है, तो प्रथम या द्वितीय मार्ग का कोई मजिस्ट्रेट, तारयंत्र प्राधिकारी के आवेदन पर पेड़ को हटवा सकेगा या उसके संबंध में ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह ठीक समझता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट उस अवस्था में, जिसमें कोई पेड़ उस तारयंत्र लाइन के लगाए जाने से पहले विद्यमान था, पेड़ में हितबद्ध व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा जैसा वह व्यक्तिव्युक्त समझता है और वह अधिनिर्णय अंतिम होगा।” (बल दिया गया)

3.6 धारा 19 ख में यह कहा गया है कि :

“इस भाग के अधीन तारयंत्र प्राधिकारी की शक्तियों को अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त करने की शक्ति - सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे स्थापित किए या अनुरक्षित रखे जाने वाले तारयंत्र की बाबत जो शक्तियां तारयंत्र प्राधिकारी के पास इस भाग के अधीन हैं उन सब को या उनमें से किसी को केंद्रीय सरकार धारा 4 के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अपनी अनुज्ञप्ति के विस्तार की बाबत और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जैसे केंद्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे और इस भाग के उपबंधों के अधधीन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रदत्त कर सकेगी ...”

4. दूरसंचार क्षेत्र के अधीन प्रतिकर की योजना

4.1 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को मूल रूप से टेलीग्राफिक संचार लाइनें बिछाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। समय के साथ, सभी प्रकार के दूरसंचार को 1885 अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया।

4.2 दूरसंचार के संबंध में प्रतिकर के मुद्दे को संयुक्त रूप से 1885 अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियम, 2016 द्वारा संबोधित किया गया है। टेलीग्राफ अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों का उल्लेख पहले किया गया है और यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

4.3 यदि अनुज्ञप्तिधारी या उसके कर्मचारियों द्वारा प्राधिकार के प्रयोग के कारण मालिक की संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो भूमि मालिक विधि के अनुसार प्रतिकर की मांग कर सकता है। 1885 का अधिनियम प्रतिकर की मात्रा पर विचार करने के तरीके की व्यवस्था करता है। अधिनियम की धारा 10 प्राधिकरण को किसी भी अचल संपत्ति के नीचे, उसके

साथ-साथ या उसके पार, या पदों के नीचे टेलीग्राफ लाइन लगाने और बनाए रखने की अनुमति देती है। 1885 अधिनियम की धारा 10 के परंतुक के खंड (ख) में यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि तार लाइनें बिछाते समय, केंद्रीय सरकार को संपत्ति में उपयोगकर्ता के अलावा अन्य भूमि पर कोई अधिकार नहीं मिलता है। इसके अलावा, 1885 अधिनियम की धारा 10 के परंतुक के खंड (घ) टेलीग्राफ प्राधिकारी को संपत्ति को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने की अपेक्षा करता है और टेलीग्राफ प्राधिकारी उन शक्तियों के प्रयोग के कारण हुए नुकसान के लिए सभी व्यक्तियों को पूर्ण प्रतिकर का भुगतान करेगा।⁹

4.4 एक पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि दूरसंचार प्राधिकारी स्वयं बुनियादी ढांचे के विकास में सीधे शामिल नहीं हैं। क्षेत्र में निजी कंपनियों के उभरने के बाद, बुनियादी ढांचे का विकास लगातार एक निजी अभ्यास बन गया है। तथापि, वही टेलीग्राफ प्राधिकारी की सभी शक्तियां इन निजी संस्थाओं को नहीं दी गई हैं। इस पर निम्नलिखित खंड में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

(क) भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियम, 2016

4.5 2016 के नियम 1885 अधिनियम की धारा 7 के अधीन दी गई नियम बनाने की शक्ति के अनुसरण में अधिनियमित किए गए हैं। 2022 में हुए नवीनतम संशोधनों के साथ-साथ नियम को समय-समय पर संशोधित किए गए।

4.6 2016 के नियमों के भीतर, अध्याय 1 पूरे नियमों में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्दों और 2016 के नियमों की प्रयोज्यता की परिभाषा का उपबंध करता है। अध्याय-1 भूमिगत टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव से संबंधित है, जबकि अध्याय III ओवरग्राउंड टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना से संबंधित है। अध्याय IV में भूमिगत या ओवरग्राउंड टेलीग्राफ अवसंरचना को हटाने की मांग करने के लिए समुचित प्राधिकारी का अधिकार अधिकृत है। अध्याय V में अनुज्ञप्तिधारी और समुचित प्राधिकारी के बीच विवादों को हल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अलावा, अंत में संलग्न अनुसूची प्रतिकर की मात्रा को निर्दिष्ट करती है जिसे 2016 के नियम के अनुसार भुगतान किया जाना होगा।

(क) भूमिगत बुनियादी ढांचा

4.7 2016 नियम भूमिगत बुनियादी ढांचे को इस प्रकार परिभाषित करता है :

"भूमिगत टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर से जमीन के नीचे बिछाई गई एक टेलीग्राफ लाइन अभिप्रेत है और इसमें टेलीग्राफ लाइन की स्थापना या रखरखाव के प्रयोजनों के लिए मैनहोल, मार्कर स्टोन, उपकरण और उपस्कर शामिल हैं।¹⁰

4.8 भूमिगत अवसंरचना के संबंध में, 2016 के नियमों में केवल किसी समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंधन में निहित या उसके अधीन संपत्ति के उपयोग की परिकल्पना की गई है, न कि किसी निजी व्यक्ति/संस्था/निकाय के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन।

4.9 समुचित प्राधिकारी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

⁹ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड बनाम सेंचुरी टेक्सटाइल्स और उद्योग लिमिटेड सीमित और अन्य, (2017) 5 एससीसी 143.

¹⁰ नियम 2, द इंडियन टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियम, 2016।

“समुचित प्राधिकारी से केंद्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकरण या ऐसा प्राधिकरण, निकाय, कंपनी या संस्था या जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित किया गया है या ऐसा समुचित प्राधिकारी जिसके नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन संपत्ति के संबंध में, जिसके अधीन या उस पर भूमिगत या ओवरग्राउंड टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना या रखरखाव किया जाना है, अभिप्रेत है ;”¹¹

4.10 नियम 6 (1ख) में यह उपबंध है :

“समुचित प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो अनुसूची के भाग-III में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा और जो उस संपत्ति के उपयोग के लिए जिसके अधीन भूमिगत टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए प्रस्तावित है, जैसा समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए ।”

4.11 नियम 6 (4) इस प्रकार है:

“समुचित प्राधिकारी भूमिगत टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना, रखरखाव, कार्य, मरम्मत, हस्तांतरण या स्थानांतरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी से नियम 5 के उप-नियम (3), उप-नियम (1ख) और उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन निर्धारित शुल्क और प्रतिकर के अलावा कोई शुल्क और प्रतिकर नहीं लेगा ।”

(ख) ओवरग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर

4.12 ओवरग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर को 2016 के नियमों में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जमीन पर स्थापित टेलीग्राफ या टेलीग्राफ खंभे अभिप्रेत है और इसमें टेलीग्राफ या टेलीग्राफ लाइन की स्थापना या रखरखाव के उद्देश्य से पोस्ट या जमीन के ऊपर के अन्य उपकरण, साधित्र और उपस्कर शामिल हैं ।”¹²

4.13 ओवरग्राउंड बुनियादी ढांचे के संबंध में, 2016 के नियमों में किसी भी समुचित प्राधिकारी में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन और **किसी निजी व्यक्ति / इकाई / निकाय के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन** संपत्ति के उपयोग की भी परिकल्पना की गई है ।

4.14 **तथापि, अनुज्ञप्तिधारी और समुचित प्राधिकारी तथा अनुज्ञप्तिधारी तथा निजी व्यक्तियों/ निकायों/संस्थाओं के बीच संबंधों में अंतर है ।**

4.15 लाइसेंस की शर्तें इस प्रकार हैं कि जहां पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी को टेलीग्राफ प्राधिकारी, वहीं बाद के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी को केवल एक निजी संस्था माना जाता है और इस प्रकार, 2016 के नियमों के ढांचे के भीतर, टेलीग्राफ प्राधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों का उपभोग नहीं करता । **किसी निजी व्यक्ति/निकाय/संस्था को देय प्रतिकर से संबंधित कोई भी मुद्दा केवल दो निजी व्यक्तियों/निकायों/संस्थाओं के बीच का लेन-देन है ।**

4.16 ओवरग्राउंड अवसंरचना के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों/निकायों को देय प्रतिकर के मुद्दे से संबंधित विभिन्न नियमों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

¹¹ पूर्वोक्त

¹² पूर्वोक्त

4.17 नियम 10 (2) :

"जहां ओवरग्राउंड टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे का स्थापन, किसी समुचित प्राधिकारी का नियंत्रण या प्रबंधन निहित ऐसी अचल संपत्ति प्रदान करता है, जिस पर ऐसा ओवरग्राउंड टेलीग्राफ बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है और जिसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किए जाने की संभावना नहीं है, वहां समुचित प्राधिकारी अचल संपत्ति के मूल्य के लिए प्रतिकर देने का हकदार होगा और/या तो एक बार या वार्षिक, ऐसी दरों पर मूल्यांकन किया जाएगा जो समुचित प्राधिकारी, सामान्य आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे। परंतु छोटे सेलों और टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए खंभों की स्थापना के लिए अचल संपत्ति के लिए देय प्रतिकर अनुसूची के भाग-III में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा।"

4.18 नियम 10 (4) :

"समुचित प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से छोटे सेल और टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए सड़क के फर्नीचर के उपयोग के लिए ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो अनुसूची के भाग -3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।"

4.19 नियम 10 ख :

"निजी संपत्ति पर टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना -- जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी निजी संपत्ति पर ओवरग्राउंड टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना का प्रस्ताव करता है वहां अनुज्ञप्तिधारी को समुचित प्राधिकारी से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी :

परंतु किसी निजी भवन या संरचना पर मोबाइल टॉवर या पोल की स्थापना के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी ऐसी स्थापना शुरू करने से पहले समुचित प्राधिकारी को लिखित रूप में एक सूचना प्रस्तुत करेगा,

परंतु यह और कि सूचना के साथ, वह उस भवन या संरचना का विवरण, जहां मोबाइल टॉवर या पोल की स्थापना प्रस्तावित है, और समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणन की एक प्रति, जो भवन या संरचना की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती है, जहां मोबाइल टॉवर या पोल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, भी प्रस्तुत करेगा।"

4.20 नियम 10क में यह उल्लेख है कि:

"छोटे सेल और टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए सड़क के फर्नीचर का उपयोग -

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) समुचित प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से, जो अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा। **छोटे सेल और टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए**, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, **ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा।** (बल दिया गया)

4.21 इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिकर के संबंध में 2016 का नियम अपनी अनुसूची 13 में निम्नलिखित तालिका प्रदान करता है¹³:

भाग-III प्रतिकर		
6 (1ख)	भूमिगत टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना	शून्य
10 (2)	छोटे सेल और टेलीग्राफ लाइन के स्थापन के लिए पोल की स्थापना	शून्य
10क (4)	छोटे सेल और टेलीग्राफ लाइन के संस्थापन के लिए सड़क फर्नीचर का उपयोग	(i) लघु सेल की स्थापना के लिए: शहरी क्षेत्र के लिए तीन सौ रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक सौ पचास रुपये प्रति वर्ष प्रति स्ट्रीट फर्नीचर (ii) टेलीग्राफ लाइन के संस्थापन के लिए प्रति स्ट्रीट फर्नीचर प्रति वर्ष एक सौ रुपये


¹³ द इंडियन टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियम 2016 (संशोधन नियम) 2022 द्वारा यथासंशोधित, अनुसूची, भाग III प्रतिकर ।

5. विद्युत क्षेत्र के अधीन प्रतिकर

5.1 विद्युत क्षेत्र के तीन प्राथमिक खंड हैं: उत्पादन, पारेषण और वितरण। उत्पादन विभिन्न ईंधन का उपयोग करके विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया है और उत्पादन स्टेशनों (उत्पादन संयंत्रों) में किया जाता है। पारेषण उपयोगिताएं एक ग्रिड के माध्यम से उत्पादन संयंत्रों से वितरण उपकेंद्रों तक उच्च वोल्टेज पर थोक विद्युत ले जाती हैं। वितरण उपयोगिताएं सब स्टेशनों से वितरण नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करती हैं। वितरण खुदरा चरण है और कम वोल्टेज पर संचालित होता है।

5.2 टावरों और पारेषण लाइनों की संस्थापन के संबंध में प्रतिकर का मुद्दा मुख्य रूप से विद्युत के पारेषण पहलू से संबंधित है। पारेषण मुख्य रूप से केंद्रीय और राज्य कंपनियों द्वारा किया जाता है और मुख्यतः सरकार द्वारा नियंत्रित गतिविधि बनी रहती है। पारेषण सेगमेंट को 1989 में केंद्रीय उत्पादन एजेंसी से अलग कर दिया गया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। पीजीसीआईएल अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली की योजना, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पावर ग्रिड के संचालन के लिए जिम्मेदार है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) ग्रिड मानकों के अनुसार अंतर-क्षेत्रीय लिंक पर विद्युत के शेड्यूलिंग और प्रेषण का प्रबंधन करता है, और राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड की निगरानी करता है। यह विद्युत एक्सचेंजों को पारेषण पहुंच प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी भी है। क्षेत्रीय भार पारेषण केन्द्र (आरएलडीसी) संबंधित क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली ग्रिड के प्रचालन का प्रबंधन करते हैं।

5.3 रेखाचित्र-I विद्युत क्षेत्र की समग्र संरचना को दर्शाता है,



5.4 विद्युत के टावर आमतौर पर लगभग 400 मीटर के अंतराल पर स्थापित किए जाते हैं और वोल्टेज और अन्य भौगोलिक मापदंडों के आधार पर एक सुरक्षित ऊंचाई बनाए रखने के लिए इन टावरों पर कंडक्टर लगाए जाते हैं। दो प्रकार के क्षेत्र हैं अर्थात:

(i) टॉवर बेस एरिया (टॉवर स्तर) अर्थात् टॉवर बेस के नीचे की भूमि स्थायी रूप से पृथ्वी पर स्थिर है। टॉवर के चार पैरों के बीच का यह क्षेत्र आम तौर पर बेकार जाता है या पहुंच पर घोर प्रतिबंधों के कारण अपनी उत्पादकता खो देता है और भूस्वामी द्वारा इच्छित उद्देश्य के लिए इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। टॉवर बेस

क्षेत्र की भूमि के पूर्ण मूल्य का भुगतान टॉवर को लगाकर लगाए गए घोर प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि के खिलाफ उचित ठहराया जा सकता है जो टॉवर बेस के नीचे आने वाली भूमि क्षेत्र की उत्पादकता और उपयोग को भारी रूप से प्रभावित करते हैं। नुकसानी केवल 66 केवी और उससे अधिक के टॉवर बेस द्वारा समर्थित पारेषण लाइनों के लिए देय है, न कि 66 केवी से नीचे उप-पारेषण और वितरण लाइनों के लिए।

(ii) मार्ग अधिकार (लाइन कॉरिडोर) अर्थात् दो टावरों पर घुमावदार कंडक्टर के नीचे की भूमि का गलियारा। मार्ग अधिकार की अधिकतम चौड़ाई की गणना टावर डिजाइन, स्पैन, हवा की गति, कंडक्टर की अधिकतम मात्रा और इसकी स्विंग प्लस अन्य आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। मार्ग अधिकार कॉरिडोर में भूमि का यह क्षेत्र भूमि के प्रकार अर्थात् कृषि, आवासीय और औद्योगिक आदि पर निर्भर करता है। कृषि भूमि के मामले में यह कृषि के लिए भूमि का उपयोग करना संभव होगा, तथापि, इसमें ऊंचे पेड़, पंप हाउस और भविष्य की संभावनाओं को रखने के लिए प्रतिबंध हो सकता है। आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के मामले में, सुरक्षा दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए गंभीर प्रतिबंध हो सकते हैं। एक बार जब भूमि पर एक पारेषण लाइन खींची जाती है, तो गलियारे में कई प्रतिबंध होते हैं और इसके अतिरिक्त आसपास की भूमि अपना मूल्य खो देती है।

5.5 टावरों के निर्माण और विद्युत लाइनों की स्थापना के कारण दो पहलुओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। पहला, ऐसी गतिविधियां, विशेष रूप से पारेषण तारों के साथ भूमि पर बाधाओं के कारण, खेती और भूमि के प्रभावी उपयोग पर इस हद तक हानिकारक परिणाम हो सकते हैं कि भूमि पर खेती नहीं की जा सकेगी। दूसरा, टेलीग्राफ प्राधिकारी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की भूमि में प्रवेश कर सकता है और उस व्यक्ति की संपत्ति पर टावर खड़ा कर सकता है और पारेषण लाइनें स्थापित कर सकता है। 1885 अधिनियम की धारा 12 के आधार पर, स्थानीय अधिकारियों से संबंधित भूमि के मामले में एक अनुमोदन प्राप्त किया जाना है, जबकि दूसरी ओर, एक निजी व्यक्ति से संबंधित संपत्ति के मामले में ऐसी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दशा में भूमि मालिक को इस आधार पर प्रतिकर से वंचित नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकारी सार्वजनिक हित में सेवा की आपूर्ति के लिए टावर और पारेषण लाइनें स्थापित करने का हकदार है।

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)

5.6 धारा 164 में यह उल्लेख है कि :

"कतिपय मामलों में टेलीग्राफ प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग - समुचित सरकार विद्युत लाइनें बिछाने या विद्युत पारेषण के लिए विद्युत संयंत्र लगाने के लिए या संकर्म के उचित समन्वयन के लिए आवश्यक टेलीफोन या तार संचार के प्रयोजन के लिए लिखित रूप में आदेश द्वारा, किसी लोक अधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी या इस अधिनियम के अधीन विद्युत प्रदाय करने के कारबार में लगे किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों और निबंधनों के, यदि कोई हों, जो समुचित सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे और भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार द्वारा टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए स्थापित या अनुरक्षित किया गया हो या इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित किया जाना हो, कोई ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जो टेलीग्राफ प्राधिकारी को टेलीग्राफ लाइनें बिछाने और खंभे लगाने की बाबत, उस अधिनियम के अधीन प्राप्त है।"

5.7 धारा 38 में यह उल्लेख है कि:

“केंद्रीय पारेषण उपयोगिता और उसके कृत्य - (1) केंद्रीय सरकार, किसी सरकारी कंपनी को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के रूप में अधिसूचित कर सकेगी :

परंतु केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, विद्युत के उत्पादन या विद्युत व्यापार के कारबार में नहीं लगेगी :

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, ऐसी केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के विद्युत के पारेषण से संबंधित किसी संपत्ति, संपत्ति में हित, अधिकार और दायित्व और उसमें अंतर्वलित कार्मिक को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की जाने वाली किसी कंपनी या कंपनियों को, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कृत्य करने के लिए भाग 13 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बनाई गई अंतरण स्कीम द्वारा अंतरित और उनमें निहित कर सकेगी और ऐसी कंपनी या कंपनियां, इस अधिनियम के अधीन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समझी जाएगी”

5.8 तारीख 24 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के माध्यम से धारा 38 द्वारा निहित शक्ति के अनुसरण में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के रूप में अधिसूचित किया गया। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने तारीख 09 मार्च, 2021 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के रूप में पीजीसीआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अधिसूचित किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अनुसार, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन एक अनुज्ञप्तिधारी है इसलिए, धारा 164 के अनुसार टेलीग्राफ प्राधिकारी की सभी शक्तियां निहित है।

5.9 अधिनियम के भाग VIII के अधीन धारा 67 में 'कार्य' से संबंधित उपबंध अधिकथित है। धारा 67 में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंधित है कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत लाइनें, विद्युत संयंत्र और अन्य कार्य बिछा सकता है और रख सकता है,¹⁴ कम से कम क्षति, हानि और असुविधा कारित कर सकता है और उसके द्वारा या उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी नुकसानी, हानि या असुविधा के लिए पूर्ण प्रतिकर देगा।¹⁵ इसमें यह भी उपबंध है कि समुचित सरकार, इस संबंध में उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा, कार्यो से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर या किराए के निर्धारण और भुगतान को निर्दिष्ट कर सकती है,¹⁶ और जहां कोई मतभेद या विवाद [उप-धारा (3) के अधीन प्रतिकर की राशि सहित] उत्पन्न होता है, तो विषय का अवधारण समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा।¹⁷ समुचित आयोग को इस धारा के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद का निर्धारण करते समय देय प्रतिकर की राशि से अधिक उप-धारा (3) के अधीन प्रतिकर लगाने का भी अधिकार है।¹⁸

5.10 धारा 68 में ओवरहेड लाइनों से संबंधित उपबंध अधिकथित है और इसमें कहा गया है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, जहां कोई पेड़ या संरचना ओवरहेड लाइन के पास खड़ी या

¹⁴ विद्युत अधिनियम, 2003, धारा 67 (1) (घ)।

¹⁵ वही, धारा 67 (3),

¹⁶ वही, धारा 67 (2) (ड)

¹⁷ वही, धारा 67 (4)

¹⁸ वही, धारा 67 (5)

स्थित है, विद्युत के परिवहन या संचरण या किसी भी कार्य की पहुंच में बाधा डालती है या हस्तक्षेप करती है या बाधा डालती है या बाधा डालने की संभावना है, तो समुचित सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस हटाने का आदेश दिया जा सकता है।¹⁹ इसमें यह भी उपबंध है कि जहां ऐसे पेड़ या ढांचे को हटाने का आदेश दिया जाता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी कार्य नियमावली, 2006²⁰

5.11 2006 के नियम, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 (2) (ड) के साथ पठित धारा 176(2) (ड) के अधीन केंद्रीय सरकार को दी गई शक्ति के माध्यम से अधिनियमित किए गए।

5.12 नियम 3 में यह उल्लेख है कि :

“काम निष्पादित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी...

6. उपनियम (1) के अधीन आदेश देते समय, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी संबंधित व्यक्तियों के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, प्रतिकर की राशि या वार्षिक किराए की या दोनों की राशि तय करेगा, जो उसकी राय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मालिक या कब्जाधारी को भुगतान की जानी चाहिए।” (बल दिया गया)

7. उपनियम (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश समुचित आयोग द्वारा पुनरीक्षण के अधीन होगा।

8. इस नियम की कोई बात अधिनियम की धारा 164 के अधीन किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी।”

5.13 यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन शक्तियां निहित हैं, तो अनुज्ञप्तिधारी कार्य नियमावली का नियम 3 लागू नहीं होगा और अनुज्ञप्तिधारी टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

5.14 नियम 13 में यह उल्लेख है कि:

“प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर का निर्धारण और भुगतान -

(1) जहां अनुज्ञप्तिधारी इनमें से किसी भी नियम का अनुपालन करने में चूक करता है, वहां वह प्रभावित व्यक्ति को **किसी भी नुकसान या उसके कारण हुई क्षति के लिए पूर्ण प्रतिकर देंगे**, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, यदि संबंधित पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति नहीं है।

(2) जहां **उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित प्रतिकर की राशि के बारे में कोई मतभेद और विवाद उत्पन्न होता है**, तो मामले का अवधारण समुचित आयोग द्वारा **किया जाएगा।**” (बल दिया गया)

5.15 नियम 14 में यह उल्लेख है कि :

¹⁹ वही, धारा 68(5)

²⁰ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना सा.का.नि. 217(अ), तारीख 18 अप्रैल 2006.

“अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय प्रतिकर को जमा करने और प्रतिभूति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-

(1) उन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय प्रतिकर की राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी। ”

(ग) 2015 के दिशानिर्देश

5.16 "क्षति" शब्द की स्पष्ट परिभाषा और इस संबंध में किसी भी दिशानिर्देश के अभाव में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 और 68 के साथ पठित भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 और 16 के अधीन टावर बेस की स्थापना और पारेषण लाइनें बिछाने के दौरान क्षति के लिए प्रतिकर के प्रश्न पर विचार किया। देश में पारेषण लाइन बिछाने के मार्ग के अधिकार से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने और प्रतिकर के भुगतान के लिए एक समान पद्धति का सुझाव देने के लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई।

5.17 2015 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना ने नुकसान के प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की।²¹

(i) टावर आधार क्षेत्र (चार पैरों के बीच) के लिए मूल्य/स्टाम्प अधिनियम दरें सर्किल रेट/गाइडलाइन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित भूमि मूल्य का 85 प्रतिशत प्रतिकर टावर/तोरण संरचना की स्थापना के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ;

(ii) पारेषण लाइन बिछाने और कतिपय प्रतिबंध लगाने के कारण मार्ग अधिकार कॉरिडोर की चौड़ाई में भूमि मूल्य में कमी के लिए प्रतिकर का निर्णय राज्यों द्वारा राज्यों के विभिन्न स्थानों में भूमि के वर्गीकरण के अनुसार लिया जाएगा, जो सर्किल दर/दिशा-निर्देश मूल्य/स्टाम्प अधिनियम दरों के आधार पर निर्धारित भूमि मूल्य का अधिकतम 15% होगा;

(iii) उन क्षेत्रों में जहां भूस्वामियों/मालिकों ने राज्य की अंतरण विकास अधिकार (टीडीआर) नीति के अधीन संबंधित निगम/नगर पालिका द्वारा प्रतिकर का वैकल्पिक तरीका प्रस्तावित/स्वीकृत की है, अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगिता संबंधित निगम/नगरपालिका/स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पास उपर्युक्त (i) और (ii) के अनुसार प्रतिकर राशि जमा करेगा;

(iv) इस प्रयोजन के लिए, मार्ग अधिकार कॉरिडोर की चौड़ाई पैरा 1.3 (पारेषण लाइनों के लिए मार्ग अधिकार के संबंध में प्रतिकर के भुगतान के लिए समिति की रिपोर्ट) में विहित चौड़ाई से अधिक नहीं होगी और कंडक्टर के सीधे नीचे की चौड़ाई से कम नहीं होगी।

उपरोक्त प्रतिकर समिति द्वारा सामान्य फसल और पेड़ क्षति के प्रति क्षति के अलावा प्रस्तावित था।

5.18 चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए कई राज्यों ने अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए हैं जहां प्रस्तावित कार्यप्रणाली विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से भिन्न है।

²¹ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, पारेषण लाइनों के लिए मार्ग के अधिकार के संबंध में क्षति के लिए प्रतिकर के भुगतान के लिए दिशानिर्देश, संख्या 3/7/2015 - ट्रांस, 15 अक्टूबर 2015।

उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वर्क ऑफ अनुज्ञप्तिधारी नियम, 2012 में यह उपबंध है कि कलेक्टर को भूमि मालिक को लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर की राशि का निपटान करना होगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह पीड़ित पक्ष द्वारा किए गए अभ्यावेदन के मामले में कलेक्टर के आदेश को संशोधित कर सकता है। लेकिन भूस्वामी/किसान महाराष्ट्र में सरकारी आदेशों के माध्यम से निर्धारित प्रतिकर की तुलना में अत्यधिक प्रतिकर की मांग करते हैं।

5.19 कर्नाटक राज्य के विभिन्न जिलों में पारेषण लाइन कार्य के संबंध में भूमि प्रतिकर के भुगतान के प्रश्न पर, कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड के एक कारपोरेट परिपत्र ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार टावर फुट क्षेत्र और लाइन कॉरिडोर क्षेत्र के संबंध में प्रतिकर अनुमोदित की है। भूमि प्रतिकर के आकलन के लिए निम्नानुसार पालन किया जाना है:

1.	टावर फुट क्षेत्र के लिए प्रतिकर	इसके चयनित मार्ग के विभिन्न टावरों के लिए आवश्यक भूमि के औसत मार्ग दर्शित मूल्य का 85%
2.	लाइन गलियारा क्षेत्र के लिए प्रतिकर	आवश्यक कॉरिडोर भूमि के औसत मार्गदर्शित मूल्य का 15% (चयनित मार्गों में टावर फुट क्षेत्र को छोड़कर)

इस संबंध में, सर्वेक्षण एजेंसी को उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर भूमि प्रतिकर का अनुमान प्रस्तुत करने, चयनित मार्ग के कैडस्ट्रल मैपिंग को विधिवत तैयार करने, पेड़ और फसल प्रतिकर के आकलन के लिए निर्देशित किया जाएगा। सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से गांव, भूमि, सर्वेक्षण संख्या, गांव की सीमा जिससे होकर गलियारा गुजर रहा है और कर्नाटक सरकार द्वारा यथा अधिसूचित भूमि का तदनुसूची औसत मार्गदर्शित मूल्य को इंगित करेगी ?²²

5.20 जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मणिपुर राज्यों ने केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया है, किंतु भूमि प्रतिकर और मार्ग अधिकार कॉरिडोर प्रतिकर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में काफी हद तक भिन्न है, जहां प्रतिकर की दर निम्नानुसार केंद्रीय सरकार के दिशानिर्देश की तुलना में अधिक या कम निर्धारित की गई :

²² कर्नाटक पावर पारेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, परिपत्र केपीटीसीएल/एसएबी/बी7/19105/15-16, तारीख 23 जनवरी 2019; कर्नाटक पावर पारेषण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदेश संख्या केपीटीसीएल/एसएबी/बी7/19/05/15-16, बेंगलुरु, तारीख 25 मई 2018.

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश	टॉवर बेस @ 85% और लाइन कॉरिडोर क्षेत्र - शून्य
सिक्किम	टॉवर बेस @ 85% और लाइन कॉरिडोर एरिया @ 15% केवल राज्य ऊर्जा और विद्युत विभाग द्वारा कार्यान्वित व्यापक योजनाओं और संबद्ध केंद्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं पर लागू होता है
हरियाणा, मिजोरम	टॉवर बेस @ 100% और लाइन कॉरिडोर क्षेत्र - शून्य
आंध्र प्रदेश	टॉवर बेस @ 100% और लाइन कॉरिडोर क्षेत्र @ 10%
ओडिशा, मेघालय	टॉवर बेस - (अधिकतम रु. 50,000/-) और लाइन कॉरिडोर क्षेत्र @ 15%
तमिलनाडु	टॉवर बेस @ 85% और लाइन कॉरिडोर क्षेत्र @ 20%

5.21 महाराष्ट्र में, टॉवर बेस के लिए प्रतिकर लाइन कॉरिडोर टिप के लिए पिछले तीन वर्षों में रेडी रेकनर का @ 30% (15% + 15%) या भूमि बिक्री की औसत दर का @ दो गुना (200%) है। इसमें पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रतिकर भी शामिल है। गोवा में, टॉवर बेस के लिए प्रतिकर रेडी रेकनर दर का दो गुना (200%) है। केरल में, भूमि प्रतिकर का उपबंध एगमोर-कोच्चि लाइन के लिए केंद्रीय सरकार के दिशानिर्देशों के समान है। लेकिन केरल में 320 केवी पुगलूर-त्रिशूर आई-आईवीडीसी लाइन के लिए उपबंध अलग है। पुगलूर-त्रिशूर एचवीडीसी लाइन के लिए जिला कलक्टर द्वारा अवधारित उचित मूल्य के पांच गुना के टॉवर बेस @ 100% के लिए विशेष प्रतिकर पैकेज है (85% पीजीसीआईएल द्वारा और शेष केएसईबी द्वारा भुगतान किया जाएगा), जबकि विस्थापन भत्ते के अलावा उचित मूल्य के @ 40% अनुग्रह भुगतान मार्ग अधिकार कॉरिडोर (टिप टू टिप) के लिए उपबंध किया गया है। इसकी विस्थापन राशि और अनुग्रह राशि कलक्टर द्वारा अवधारित भूमि के उचित मूल्य के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

5.22 भूमि की प्रचलित बाजार दर के आधार पर पारेषण टावर द्वारा उपयोग की जाने वाली महाराष्ट्र में भूमि का वर्गीकरण (महाराष्ट्र में भूमि का अधिग्रहण न करके) निम्नानुसार है:

- (क) गैर-कृषि योग्य कृषि भूमि - 25%
- (ख) खेती योग्य कृषि भूमि - 50%

(ग) फलदार कृषि भूमि - 60%

(घ) गैर-कृषि मोड़ - 65%

10% अनुग्रह राशि के साथ पेड़ों के लिए अलग-अलग दरों के साथ स्टिंगिंग के दौरान भूमि को नुकसान के लिए भूस्वामी को अतिरिक्त प्रतिकर पर विचार किया जा सकता है।

(घ) 2020 शहरी मार्ग अधिकार दिशानिर्देश

5.23 तदुपरांत, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख् या 3/4/2016- ट्रांस के माध् यम से प्रतिकर की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा और विश्लेषण करने तथा संभावित संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया। यह देखते हुए कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के 2015 के दिशानिर्देशों को अधिकांश राज्यों द्वारा अपनाया जाना बाकी था, शहरी क्षेत्रों में पारेषण लाइनों के लिए मार्ग अधिकार के संबंध में प्रतिकर की सिफारिश 2020 में निम्नानुसार की गई:

“.....”

(ख) मार्ग अधिकार कॉरिडोर की चौड़ाई के लिए भूमि मूल्य के 15% तक गैर-प्रयोज्यता भत्ते की अतिरिक्त प्रतिकर अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में लागू होगी। पारेषण लाइनों की पंक्ति के अधीन किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) इस दिशा-निर्देशों के प्रयोजन र्थ शहरी क्षेत्रों की परिभाषा निम्नानुसार है : नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति आदि में सभी स्थान।

(घ) शहरी क्षेत्रों में मार्ग अधिकार के लिए प्रतिकर का भुगतान एक बारगी/अग्रिम होगा। प्रतिकर के भुगतान के लिए किसी अन्य व्यवस्था के मामले में, इसे अलग-अलग राज्यों द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।²³

²³ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, शहरी क्षेत्रों में पारेषण लाइनों के लिए मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) के संबंध में प्रतिकर को अंतिम रूप देने के लिए समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ 1197, 308134/2019/0 बिहारी लाल की रिपोर्ट।

6. विभिन्न विधियों के अधीन अलग-अलग दृष्टिकोण

6.1 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और उसके बाद सेंट्रल पारेषण उपायोगिता ऑफ इंडिया लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रमशः तारीख 24 दिसंबर, 2003 और 9 मार्च, 2021 को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय पारेषण उपायोगिता के रूप में अधिसूचित किया गया। 2003 अधिनियम के अधीन केंद्रीय पारेषण उपायोगिता का एक अनुज्ञप्तिधारी होने के परिणामस्वरूप,²⁴ पीजीसीआईएल और सीटीयूआईएल को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अधीन टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियां प्रदान की गईं फिर भी इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि प्रतिकर के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 में उपबंध मौजूद हैं फिर भी प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण करते समय भारतीय तार अधिनियम, 1885 के उपबंधों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6.2 दूसरी ओर, दूरसंचार अवसंरचना और साधित्र के मामले में पूरी तरह से टेलीग्राफ अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं।

6.3 विद्युत अधिनियम के अनुसार, उच्च विद्युत वोल्टेज/अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों के कारण हुई क्षति के लिए प्रतिकर की मात्रा टेलीग्राफ पारेषण टावरों में क्षति की तुलना में मार्ग अधिकार कॉरिडोर में टेलीग्राफ पारेषण लाइनें बिछाने की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है। विद्युत पारेषण में लगे निजी विकासकर्ताओं जैसे अन्य लाइसेंसधारकों को भी ऐसी शक्तियां प्रदान की गईं हैं और उन्हें दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना है।

6.4 क्षति के लिए प्रतिकर के भुगतान के संबंध में, विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अधीन प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं। जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी को विद्युत अधिनियम, 2003 लाइसेंस निर्माण नियमावली, 2006 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वे समुचित आयोग द्वारा संशोधन के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भू-स्वामी को दिए जाने वाले प्रतिकर की राशि का निर्धारण कर सकते हैं।

6.5 इसके विपरीत, यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अधीन टेलीग्राफ प्राधिकारी है, जो भूमि मालिक को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए अनुबंधित है और यदि प्रतिकर की पर्याप्तता के बारे में कोई विवाद है, तो इसका निर्णय जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाए।

6.6 इसके अलावा, भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियम, 2016 को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि कोई अनुज्ञप्तिधारी निजी संपत्तियों के संबंध में टेलीग्राफ प्राधिकारी के पास निहित शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। दूरसंचार के क्षेत्र के निजीकरण का मतलब है कि यह प्रमुख रूप से निजी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। ऐसे परिदृश्य में, सरकार ने यह उचित समझा कि निजी संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों को सरकार के किसी भी हस्तक्षेप के बिना दूरसंचार क्षेत्र की निजी संस्थाओं और स्वयं संपत्ति के मालिकों के बीच निपटाया जाए।

7. प्रासंगिक न्यायिक निर्णय

²⁴ विद्युत अधिनियम, 2003, धारा 14

7.1 माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम देवेंद्रप्पा**²⁵ वाले मामले में यह कहा गया :

"15 यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि सभी किसानों की भूमि . . . जहां टावर और हाई-टेंशन तार लगाए गए हैं, वे गैर-कृषि संभावित मूल्यों अर्थात् वाणिज्यिक मूल्य के होंगे और एक बार जब टॉवर और हाई-टेंशन तार भूमि पर कर दिए जाएंगे . . . , हमेशा के लिए भूमि का मूल्य कम हो जाएगा और इसके द्वारा . . . जीवन का अधिकार, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है, प्रभावित होगा, क्योंकि भूमि पर टावरों और हाई-टेंशन तारों के निर्माण के कारण वे अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे. . . और भूमि के घटते मूल्य के लिए कोई प्रतिकर दिए बिना. . . इस तरह का अभाव न केवल जीवन को प्रभावी वस्तु और सार्थकता नष्ट कर देगा, बल्कि, यह जीवन जीना असंभव बना देगा।"

7.2 **केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम केरल लिविशा और अन्य**,²⁶ वाले मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि :

"9. तीसरे पक्षकारों की कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों पर टेलीग्राफ लाइनों और विद्युत की लाइनें दोनों को खींचना आवश्यक है। ऐसी लाइनें खींचने में, पूरी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव उस संपत्ति के मूल्य को कम करना होगा जिस पर ऐसी लाइनें खींची गई हैं।"

7.3 माननीय उच्चतम न्यायालय ने **केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा और अन्य**²⁷ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया :

"प्रतिकर की राशि का अवधारण विधि के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए दूसरा कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है तथापि निस्संदेह निर्धारित सूत्र बोर्ड और / या संदर्भ न्यायालय को इसे लागू करने में सहायता कर सकता है, लेकिन इस संबंध में एक कठोर नियम नहीं हो सकता है। हालांकि प्रतिकर की राशि अवधारित करने का नियत फार्मूला भूमि अधिग्रहण अधिकारी या संदर्भ न्यायालय के कार्य को आसान बना सकता है लेकिन हमारी राय में प्रत्येक मामले को उसकी योग्यता के आधार पर लिया जाना आवश्यक है। हम इसे जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं। अधिनियम का प्रयोजन और उद्देश्य और उसके प्रयोजन के लिए उसमें अधिकथित पद्धति मार्गदर्शक कारक होना चाहिए।"

7.4 **केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा और अन्य**²⁸ वाले मामले में राय व्यक्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2003 के अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर के अवधारण के लिए कतिपय कारक अधिकथित किया :

"जमीन की स्थिति, उस पर बिछाई गई हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के बीच की दूरी, उस पर लाइन की सीमा के साथ-साथ यह तथ्य भी कि क्या उच्च वोल्टेज लाइन जमीन के एक छोटे से हिस्से के ऊपर से गुजरती है या भूमि के बीच से गुजरती है और

²⁵ 2015 एससीसी ऑनलाइन कर 9537; 2 (2016) 2 एआईआर कांत आर 161

²⁶ (2007) 6 एससीसी 792

²⁷ पूर्वोक्त।

²⁸ पूर्वोक्त।

हमारी राय में इसी तरह के अन्य प्रासंगिक कारक अवधारक होंगे। भूमि का मूल्य भी एक प्रासंगिक कारक होगा। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में भूमि का मालिक उस उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग करने का अपना सारवान अधिकार खो देता है जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना था।”

7.5 माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम विशेष उप कलेक्टर, मद्रास**²⁹ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया :

“एक सिद्धांत को अपनाने से उच्च मूल्य मिल सकता है और दूसरे सिद्धांत को अपनाने से कम मूल्य मिल सकता है। लेकिन फिर भी, वे ऐसे सिद्धांत हैं जिन रीति से और जिस तरह से प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है। न्यायालय स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकती है कि विधि को एक सिद्धांत अपनाना चाहिए और दूसरे को नहीं, क्योंकि यह केवल पर्याप्तता के सवाल से संबंधित है।”

7.6 फलदार वृक्षों के संबंध में प्रतिकर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम गुरचरण सिंह**³⁰ वाले मामले में यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकर का निर्धारण “पेड़ों से उपज के आधार पर 8 साल के गुणक को लागू करके” किया जाए।

7.7 **केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम वर्गीज थॉमस**³¹ वाले मामले में यह कहा गया कि उक्त उद्देश्य के लिए जिस सिद्धांत का सहारा लिया जाना चाहिए वह वार्षिकी पद्धति है। प्रतिकर की राशि की गणना के लिए प्रति वर्ष 5% ब्याज की वापसी को उचित माना गया था। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने **कुंभ अम्मा बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड**³² वाले मामले में राय दी कि यह मुद्रास्फीति एक प्रासंगिक कारक था जिसे पेड़ों के विनाश के लिए प्रतिकर की राशि की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7.8 **कृष्ण पाल और एक अन्य बनाम भारत संघ (2018)**³³ वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने **श्रीमती कलावती और अन्य बनाम भारत संघ**³⁴ वाले मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया। जहां यह माना गया था कि एक सह-मालिक “अधिगृहीत भूमि के अन्य मालिकों के संबंध में दिए गए बढ़े हुए प्रतिकर के समान लाभ का हकदार होगा, जो संयुक्त रूप से सभी का था”। न्याय के लिए आवश्यक है कि संपत्ति के सह-मालिकों को समान माना जाए और यहां तक कि समान प्रतिकर दिया जाए ताकि उन्हें उचित और समान व्यवहार मिल सके। मालिकों और सह-मालिकों को एक ही अधिसूचना और एक ही अधिनिर्णय के अधीन अधिगृहीत एक ही भूमि के संबंध में प्रतिकर के भुगतान में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जब भूमि संयुक्त रूप से सह-मालिकों की है, तो सभी सह-मालिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रतिकर की समान राशि दी जानी चाहिए।³⁵

²⁹ एआईआर 1965 एससी 1017.

³⁰ 1995 सप्ली. (2) एससीसी 637.

³¹ 1961 के.एल.टी. 238.

³² (2008) 1 के. एल. टी. 524 (एफ.बी.)

³³ डब्ल्यू.पी. (सी.) सं. 7184/2015.

³⁴ एल.एस. सं. 650/2008 और सी. एम. सं. 9226/2008.

³⁵ ए. विश्वनाथ पिलाई और अन्य बनाम विशेष भूमि अर्जन तहसीलदार , 1991 एस.सी.आई. 465.

8. कानूनी प्रतिकर का विधिशास्त्र

(क) प्रतिकर की अवधारणा

8.1 यदि किसी व्यक्ति को किसी कारण से उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, तो या तो ऐसी संपत्ति जो अधिगृहीत संपत्ति के समान हो या उसके लिए प्रतिकर का भुगतान किया जाना चाहिए। व्यक्ति ने विधिक प्रणाली के अधीन अपनी संपत्ति में निहित हित अर्जित किया है। यदि वह राज्य की खुशी में इसे खो देते हैं, तो लोग विधिक प्रणाली में विश्वास खो देंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिकर का उपबंध विधि का एक अभिन्न अंग है। "उचित प्रतिकर" पद एक तरल और बदलता शब्द है ; यह अत्यंतिक पूर्ण पद नहीं है। इसे प्राथमिकता के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे मांग की वास्तविकता और समग्र रूप से समाज की अपेक्षाओं और अधिकारों को दिए गए महत्व के संबंध में अवधारित किया जाना चाहिए।

8.2 गुजरात राज्य बनाम शांति लाल मंगलदास और अन्य³⁶ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार:

"सामान्य बोलचाल में "प्रतिकर" पद से वस्तु को बराबर बनाने के लिए दी गई कोई वस्तु ; ऐसी वस्तु जो हानि, पुनर्चना, पारिश्रमिक या वेतन के लिए या उसकी भरपाई करने के लिए दी गई हो, अभिप्रेत है"

"प्रतिकर" पद की शाब्दिक व्याख्या यह है कि जिस मालिक की संपत्ति सार्वजनिक उपयोग और लाभ के लिए ली जाती है, उसे होने वाले नुकसान की भरपाई किया जाना चाहिए।

8.3 मदन मोहन शर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य³⁷, वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

"13. लेकिन संपत्ति का "संदाय" मालिक के अधिकारों पर "प्रतिबंध" से अलग है। संपत्ति का उपयोग करने और आनंद लेने के लिए मालिक के अधिकार पर प्रतिबंध आवश्यक रूप से तब तक कम होता है जब तक कि यह संपत्ति सहित अपने अधिकारों के पर्याप्त या आंशिक रूप से वंचित न हो। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका विनिश्चय प्रत्येक मामले के उसके अपने तथ्यों निकाला जाना चाहिए।

14. यदि किसी मामले की वास्तविक स्थिति में, विधि द्वारा लगाए गए पुनर्स्थापन द्वारा, किसी व्यक्ति को संपत्ति के मालिक के रूप में अपने अधिकारों के पर्याप्त हिस्से से वंचित किया गया है, तो वह प्रतिकर का हकदार होगा। **जिलूभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य**, [1995 सप्ली. (1) एससीसी 596; एआईआर 1995 एससी 142] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 300क "विनियोजित संपत्ति के मालिक के बराबर या क्षतिपूर्ति" के अर्थ में प्रतिकर के भुगतान पर विचार नहीं करता है और यह विचार करता है कि जिस विधि के अधीन कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित है, उसे एक राशि तय करनी चाहिए या सिद्धांत निर्धारित करना चाहिए जिसके अनुसार ऐसी राशि निर्धारित की जा सकती है। इस संबंध में, उक्त निर्णय से संबंधित उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है :

³⁶ एआईआर 1969 एससी 634.

³⁷ 1998 एससीसी ऑनलाइन पटना 435; (1998) 3 पीएल-जेआर 715; (1998) 46 (3) बीएलजेआर 2206.

... विधि एक राशि तय कर सकती है या जिसे ऐसे सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है या जैसा कि उसमें अधिकथित किया जाए और ऐसी रीति से दिया जाए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए। हालांकि, ऐसे विधि को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि निर्धारित राशि या अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है। निर्धारित की गई राशि भ्रामक नहीं होनी चाहिए। राशि निर्धारित करने के लिए अधिकथित सिद्धांत राशि के निर्धारण के लिए प्रासंगिक होना चाहिए ... "

8.4 तारीख 26 नवंबर 2014 को दिए गए 'विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अधीन देय प्रतिकर' पर भारत के अटॉर्नी जनरल की राय के अनुसार:

"... क्षति अस्थायी प्रकृति की हो सकती है जहां काम पूरा होने के बाद मूल स्थिति में वापस बहाल किया जा सकता है और अन्य क्षति ऐसी हो सकती है जहां इसे मूल स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता है। तथापि, पारेषण लाइन अर्थात् टावर स्तर के साथ-साथ लाइन गलियारे के संस्थापन में शामिल क्षेत्र को कतिपय प्रतिबंधों के कारण मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार, प्रतिकर का निर्णय लेते समय क्षति में इस भिन्नता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह मानना तर्कसंगत है कि टॉवर के पैरों के नीचे की भूमि (स्थायी रूप से पृथ्वी पर स्थिर) मालिक द्वारा स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। भले ही भूमि का वह टुकड़ा का अधिग्रहण के लिए आवश्यक नहीं है और स्वामित्व मालिक के पास रहता है, फिर भी भूमि के उन टुकड़ों के स्वामित्व, उपभोग और स्वतंत्र उपयोग की सभी घटनाएं गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाती हैं। ऐसे मामले में, प्रतिकर भूमि के वर्तमान मूल्य के करीब होना चाहिए।

गलियारे के अधीन ऐसी भूमि का प्रतिकर पूरी तरह से भिन्न है। ऐसी भूमि कृषि के लिए आसानी से उपयोग योग्य है। तथापि, भूमि उपयोग पर कतिपय प्रतिबंधों के साथ-साथ कृषि के अलावा अन्य उपयोग के लिए भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ इसके ऊपर लाइन लगाने के कारण भूमि के मूल्य में कमी आएगी। लाइन कॉरिडोर के लिए भूमि मूल्य में इस तरह की कमी के लिए प्रतिकर भूस्वामी को भी देय है, जिसकी मात्रा भूमि के प्रकार/ स्थान और इसके अंतर्निहित भूमि उपयोग के आधार पर क्षति के अनुरूप होनी चाहिए।"

(ख) न्यायसंगत, उचित और साम्यापूर्ण प्रतिकर

8.5 प्रतिकर का इस तरह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि किसी कठिनाई के बिना सामाजिक हित लागू किया जा सके। विनियोजित संपत्ति का मूल्यांकन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के प्रति आंखें मूंदे बिना व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता और सामाजिक हित की उन्नति की आनुपातिक अवधारणा पर आधारित होना चाहिए।³⁸ प्रतिकर के सिद्धांतों को इस देश में उपलब्ध सामाजिक स्थिति और संसाधनों की नींव पर विकसित करना होगा। सामाजिक भलाई की जगह संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार का पक्ष लेने का 19वीं सदी का विचार अब आधुनिक भारत के आवश्यक विकास के अनुरूप नहीं रह गया है। व्यक्तिगत हित को व्यापक सामाजिक हित के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, और व्यक्ति को अपनी संपत्ति केवल तभी खोनी पड़ सकती है जब समाज का बड़ा हित साधन आवश्यक हो। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता

³⁸ गोविंदा चंद्र दक्का बनाम दिनेश चंद्र मोइत्रा, ए.आई.आर. 1952 का. 100.

है कि दोनों के बीच असहमति की स्थिति में कुछ व्यक्तियों की तुलना में अधिकतर लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, ऐसा स्वामी जिसकी संपत्ति का उपयोग या अधिग्रहण समाज के व्यापक हित के लिए किया गया हो, उसे उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए।

8.6 प्रतिकर की पर्याप्तता सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि ली जाती है या उपयोग की जाती है, तो उचित और पर्याप्त प्रतिकर का भुगतान किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष कहा था कि:

“सर्वप्रथम, हम यह स्पष्ट कर दें कि प्रतिकर के बिना किसी भी तरह की बेदखली का कोई सवाल ही नहीं है। यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति की आवश्यकता है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि यदि आवश्यक हो तो मजबूरी में राज्य द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाना चाहिए और प्रतिकर का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि हमें संपत्ति लेनी है, यदि राज्य ऐसा करती है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित और न्यायसंगत प्रतिकर दिया जाए, क्योंकि हम उचित और न्यायसंगत प्रतिकर के आधार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम इसकी साम्या पर विचार करते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना होगा कि साम्या केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि समुदाय पर लागू होती है। कोई भी व्यक्ति अंततः बड़े पैमाने पर समुदाय के अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकता है। किसी भी समुदाय को व्यक्ति के अधिकारों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और आक्रमण नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह ऐसा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कारणों से न हो।”³⁹

8.7 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम श्रीमती बेला बनर्जी और अन्य**⁴⁰ वाले मामले में यह मतव्यक्त किया :

“... उन सिद्धांतों को निर्धारित करना जो विनियोजित संपत्ति के लिए मालिक को दी जाने वाली राशि के निर्धारण को नियंत्रित करता हो और ऐसे सिद्धांतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संदेय अवधारित प्रतिकर उतना अर्थात् समतुल्य होना चाहिए जितनी रकम से स्वामी को वंचित किया गया है।”

(ग) मूल्यांकन पर विचार

8.8 यदि पारिषद लाइन किसी भूखंड से होकर गुजरती है, तो ऐसी लाइन के दोनों ओर निश्चित दूरी तक किसी निर्माण की अनुमति नहीं है और विहित सुरक्षा दूरी तक किसी भी विकास की अनुमति नहीं है। इससे भूमि का मूल्य प्रभावित होता है। यह माना जाता है कि

³⁹ संविधान सभा वाद-विवाद, पुस्तक 4, खंड IX (30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949), 1194 पर (छठा पुनर्मुद्रण लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (2014)); प्रतिकर के सवाल पर संविधान सभा की बहस अनुच्छेद 31 (2) के संविधान उपबंध के आसपास केंद्रित थी, जिसे अब संविधान (चौवालतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, संविधान सभा में व्यक्त किए गए विचारों के तीन स्कूल थे: (1) प्रतिकर की मात्रा के सवाल पर पूर्ण न्यायसंगतता की आवश्यकता; (2) न्यायसंगतता को पूरी तरह से बाहर करना और प्रतिकर पर विधायी निर्णय को अंतिम और अकाट्य बनाना; और (3) जमींदारी और अन्य होल्डिंग्स के अलावा अधिग्रहण के सभी मामलों में न्यायसंगतता की अनुमति देना; टी.एस. रामा राव, "भारतीय कानून में प्रतिकर की समस्या और इसकी न्यायसंगतता", जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, वॉल्यूम 4, 481-503 (1962).

⁴⁰ ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 170.

भूमि पर भवन का निर्माण पहुंच, जल निकासी आदि के साधन प्रदान करने वाला एक सुधार है । भूमि में उत्पादक क्षमता है, लेकिन यह उस पर श्रम और पूंजी लगाए बिना नहीं हो सकता । कृषि भूमि के मामले में, इसे खेती करने के लिए श्रम और भूमि को उत्पादक बनाने के लिए बीज, उर्वरक और पानी के रूप में कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है ।

8.9 ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालयों ने स्वीकार किया है कि प्रतिकर की राशि निर्धारित करने के लिए मूल्य की अवधारणा किसी भी अन्य विचार की तुलना में अधिक जटिल है। भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में "मूल्य" शब्द के कई अर्थ हैं । 'सही प्रतिकर' या 'वास्तविक प्रतिकर' या 'वास्तविक मूल्य' या 'सही मूल्य' जैसे विचारों से उद्भूत मूल्य का मूल्यांकन करना मुश्किल है । समाज के मूल्य विकल्पों के चुनौतीपूर्ण कारक न्यायालय के लिए प्रतिकर की राशि निर्धारित करना जटिल बनाते हैं ।

8.10 कतिपय क्षेत्रों में भूमि का मूल्य बहुत अधिक पाया जाता है । कम आबादी वाले और सुनसान स्थानों में जहां क्षेत्र में लोगों की भुगतान क्षमता बहुत कम है, बाजार में प्राप्त मूल्य इसकी वास्तविक लागत से बहुत कम है । मूल्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक सिद्धांतों में समुदाय के लोगों के सभी लक्षण और रीति-रिवाज शामिल हैं । देश के कुछ भागों में, "टी" जंक्शन पर भूमि की बहुत सीमित विपणन क्षमता है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा भूखंड खरीदने के लिए आगे आता है। भारत के अन्य हिस्सों में, ऐसी भूमि को गर्म केक की तरह बेचा जाता है । यह सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का संकेत है, जिसका मूल्यांकन विचार पर प्रभाव पड़ता है ।

8.11 मूल्य प्राप्त संतुष्टि की डिग्री पर निर्भर है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है और यहां यह व्यक्तिपरक है। किसी भी भूमि के मूल्यांकन में मुख्य मानदंड उसकी उपयोगिता है। मूल्यांकन अभ्यास में उपयोग की जाने वाली विधि का मुख्य उद्देश्य मूल्यवान संपत्ति की उपयोगिता को योग्य बनाना होना चाहिए। उपयोगिता एक पूर्ण शर्त नहीं है बल्कि एक सापेक्ष पद है । भूमि का मूल्य उपज की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है, और कृषि भूमि की उपयोगिता इसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है । भूमि के मूल्यांकन को आंतरिक और बाह्य सभी कारकों के आलोक में देखा जाना चाहिए, जिसका इसके परिचालन प्रदर्शन पर असर पड़ता है। मूल्यांकन में, निम्नलिखित प्रश्नों जैसे कि भूमि की उपयोगिता, भूमि के स्वामित्व, कब्जे और उपयोग के कारण मौजूदा और प्रत्याशित लाभ, इसकी स्रोत उपलब्धता या इसकी प्रचुरता, और बाजार में इसकी मांग को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

8.12 संपत्ति का अधिकार न केवल भौतिक वस्तु से संबंधित है, बल्कि यह एक अमूर्त संबंध भी है जिसे स्वामित्व से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लाभ के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है । भूमि में सीमाओं से सीमित एक भौतिक चीज, ईंट, मोर्टार, स्टील, सीमेंट और लकड़ी का ढेर देख सकते हैं । लेकिन तथ्य यह है कि भूमि में न केवल भौतिक विशेषताएं हैं, बल्कि इसके विधिक और आर्थिक लक्षण भी हैं । मूल्यांकन में, किसी भूमि में "ब्याज" के मूल्य अर्थात् व्यक्ति का "विधिक रूप से अनुमेय उपयोग के लिए संपत्ति से लाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकार का अनुमान लगाना आवश्यक है । इस प्रकार, यह न केवल "भौतिक" इकाई का बल्कि "विधिक-आर्थिक इकाई" के मूल्य का अनुमान लगाना है । यह निम्नलिखित समाविष्ट करता है :

(1) ऐसी भूमि जिसका मूल्य निकाला जा रहा है, का मूल्यांकन मूर्त वस्तु भूमि या भवन ही नहीं, बल्कि भूमि और भवन में व्यक्तियों का अधिकार भी है ;

(2) भूमि और भवन सहित पूरी इकाई का मूल्य, इसके सभी लाभ और इसकी क्षमताओं के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए; और

(3) कोई अधिकार नहीं, कोई मूल्य नहीं ।

8.13 अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक (आईवीएस) के अनुसार, भूमि की प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन के लिए आय दृष्टिकोण, बाजार दृष्टिकोण और लागत दृष्टिकोण लागू किया जाता है। भारत में आमतौर पर भूमि के मूल्यांकन के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है । लागत दृष्टिकोण में भौतिक इकाई के मूल्य का अनुमान लगाया जाता है और "ब्याज" का मूल्य, जो वास्तव में मूल्यांकन का विषय है, का अनुमान नहीं लगाया जाता है ।⁴¹

8.14 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) बाजार मूल्य का आकलन करने में अपनाए जाने वाले सिद्धांत का उपबंध करता है । बाजार मूल्य के निर्धारण के सिद्धांतों का उद्देश्य है कि मालिक को अधिगृहीत संपत्ति के मूल्य का प्रतिकर दिया जाए । इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की मात्रा तय करने और अधिनिर्णय के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है । मालिक उक्त निर्धारण से इनकार कर सकता है और न्यायिक प्राधिकारी के निर्देश की मांग कर सकता है जिसे बाजार मूल्य के अवधारण का कार्य दिया गया है। यहां तक कि जब प्रतिकर का अवधारण किया जाता है, तो अधिनियम पीड़ित मालिक को अपील फाइल करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि का न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उचित बाजार मूल्य निर्धारित करना और मालिक को समान मूल्य के साथ प्रतिकर देना है ।

8.15 2013 अधिनियम की धारा 28 में अधिनिर्णय के अवधारण में विचार किए जाने वाले पैरामीटर इस प्रकार है :

"पहला, धारा 26 के अधीन यथा अवधारित बाजार मूल्य और पहली और दूसरी अनुसूची के अनुसार अधिनिर्णय राशि ;

दूसरा, कलक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय किसी भी खड़ी फसलों और पेड़ों को लेने के कारण हितबद्ध व्यक्ति को हुई क्षति ;

तीसरा, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय, ऐसी भूमि को दूसरी भूमि से अलग करने के कारण हितबद्ध व्यक्ति को हुई क्षति (यदि कोई हो) की नुकसानी ;

चौथा, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय अधिग्रहण के कारण उसकी अन्य संपत्ति, चल या अचल, किसी अन्य तरीके से, या उसकी कमाई को हानिकारक रूप से प्रभावित करती है, हितबद्ध व्यक्ति को हुई क्षति (यदि कोई हो) ;

पांचवां, कलक्टर द्वारा भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, हितबद्ध व्यक्ति को अपने निवास या व्यवसाय के स्थान को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, इस तरह के परिवर्तन का आकस्मिक उचित व्यय (यदि कोई हो) ;

छठा, धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय के बीच भूमि के मुनाफे में कमी के परिणामस्वरूप सद्भाविक क्षति (यदि कोई हो) ; और

⁴¹किरीट पी. बुधभट्टी, बैंक वित्त के लिए रियल एस्टेट मूल्यांकन और दिवाला आनंद: आनंद प्रेस (2022); पी.टी. हार्डिकर, बेसिक रियल एस्टेट मूल्यांकन। पुणे: मुद्रा (2020).

सातवां, कोई अन्य आधार जो साम्या न्याय के हित में हो और प्रभावित परिवारों के लिए लाभकारी हो ।

9. कानूनी प्रतिकर के लिए सिद्धांतों का निर्धारण

9.1 यह केवल भूमि का मूल्य नहीं है, बल्कि प्रतिकर की राशि निर्धारित करते समय कई बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक प्रतिकर का भुगतान करने के लिए राज्य की क्षमता, भूमि के मालिक द्वारा पहले से प्राप्त लाभ, और वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि उपयोग के लिए ली जानी है, और भूमि का कोई भी भाग जो कई वर्षों से अप्रयुक्त या उपेक्षित करते हैं।⁴² इन सभी प्रश्नों पर फैसला तब करना होता है जब प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार कोई विशेष मामला उठता है।

9.2 कभी-कभी यह मांग की जाती है कि किसी भी विवाद से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, सिंचित, गैर-सिंचित और बंजर भूमि, गैर-खेती योग्य, खेती योग्य और फलदार कृषि भूमि और गैर-कृषि भूमि में पारेषण टॉवर बेस के निर्माण और मार्ग अधिकार कॉरिडोर में पारेषण लाइन बिछाने के लिए प्रतिकर में एकरूपता होनी चाहिए।

9.3 तथापि, प्रतिकर की एक समान योजना प्रदान करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है। न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मामले को अपनी योग्यता के आधार पर लिया जाना अपेक्षित है। यदि पारेषण लाइनें वन भूमि में खींची जाती हैं, तो पारेषण उपयोगिता को वनीकरण की लागत, मार्ग अधिकार कॉरिडोर पर्यावरण संरक्षण कार्य की लागत का भुगतान करना होता है और पारेषण गलियारे की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के बराबर प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वन विभाग को भूमि प्रदान करनी होती है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने स्वयं के **केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा**⁴³, **केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बी श्रीकुमारी**⁴⁴ और **केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम चिनम्मा एंटनी**⁴⁵ निर्णय में न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि प्रतिकर की दर तय करने के लिए कोई समान फार्मूला या नीति नहीं हो सकती है और उसका विचार है कि प्रत्येक मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर लिया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करने में केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की पद्धतियों (एक पारेषण टावर के मामले में और दूसरी पारेषण लाइनों के मामले में) से पता चला है कि प्रतिकर की मात्रा की गणना के लिए एक समान फार्मूला नहीं हो सकता है।

9.4 प्रतिकर की गणना के लिए सामान्य सिद्धांतों को अधिकथित करते समय, प्रत्येक मामले के लिए प्रतिकर की सटीक राशि निर्दिष्ट करना उचित नहीं हो सकता है; इसके बजाय, प्रतिकर की मात्रा को नियंत्रित करने वाले व्यापक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। टावर और पारेषण लाइनों को लगाने का प्रभाव टावरों की स्थापना, टॉवर की ऊंचाई और गलियारे की भूमि पर निर्भर करेगा। यदि टावरों को कृषि भूमि के बीच में रखा जाता है, तो संपत्ति के किनारे पर टावरों की

⁴² संविधान सभा बहस, सुप्रा नोट 39, पर 1221. घटक सभा में वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर के टी शाह ने कहा था कि कोई प्रतिकर शोध या देय नहीं होना चाहिए और जो मैं तर्क देता हूँ, दोनों अर्थशास्त्र और नैतिकता मामले में अंतर्निहित मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ... भूमि पूरी तरह से अप्रयुक्त रही है ... और यह कृत्य का लापरवाही उस अक्षमता के लिए नहीं तो समाज की उदासीनता है मालिक को प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि किसी भी संपत्ति के मामले में जो सक्षम है का विकास और धन में वृद्धि वही समुदाय, जो उदासीनता, अक्षमता, लापरवाही के कारण नहीं तो अन्यथा मालिक है नहीं इसलिए उपयोग किया जाता है, मालिक प्रतिकर पाने के लायक नहीं है और समुदाय गलत होगा। यदि संपत्ति की ऐसी मद के संबंध में कोई प्रतिकर देता है।

⁴³ उपर्युक्त टिप्पण 25.

⁴⁴ (2008) 5 एससीसी 398.

⁴⁵ (2008) 11 एससीसी 476.

तुलना में स्थिति अलग होगी। आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के मामले में मानव जीवन की सुरक्षा और विद्युत निकासी के लिए उपयोग पर गंभीर प्रतिबंध है। इसके अलावा, भूमि के एक विशेष टुकड़े के लिए प्रतिकर के लिए समान भूमि या भूमि के आसन्न भाग के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखना होगा। इससे व्यवस्था में विश्वास सुनिश्चित होगा और भूमि मालिक यह सोचने के लिए मजबूर नहीं होंगे कि प्रतिकर का अवधारण प्राधिकार पदों पर बैठे लोगों की मर्जी के अनुसार किया गया है।

9.5 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का अधिदेश सभी क्षति के लिए "पूर्ण प्रतिकर" है। टेलीग्राफ अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी भूमि के उपयोग के संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी भूमि भूस्वामी के स्वामित्व में रहती है और इसे अधिग्रहीत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं होती है। अधिग्रहण के मामले में, पूर्ण बाजार मूल्य देय होना चाहिए क्योंकि भूमि मालिक के पास नहीं रहती है और वास्तव में इसके अनिवार्य अधिग्रहण के बाद सरकार में निहित हो जाती है। इसलिए, गैर-अधिग्रहण के मामले में, प्राधिकारी को केवल एक उपयोगकर्ता का अधिकार मिलता है और केवल प्रतिकर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो इस अधिकार के प्रयोग में भूमि को हुए नुकसान के अनुरूप हो।

10. निष्कर्ष और सिफारिशें

10.1 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन प्रतिकर योजनाओं के कार्यक्रम के अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिकर का मुद्दा सीधा नहीं है और इसमें ऐसे कई पहलू शामिल हैं जिन्हें हितधारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ विद्युत क्षेत्र में विद्युत अधिनियम और भारतीय तार अधिनियम का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। आयोग की राय है कि विद्युत टारों और पारेषण लाइनों को बिछाने के संबंध में मार्ग अधिकार से संबंधित उपबंधों को विद्युत अधिनियम, 2003 में ही शामिल किया जाना चाहिए।

10.2 आयोग शहरी मार्ग अधिकार के लिए 2015 में और बाद में 2020 में जारी दिशानिर्देशों से संतुष्ट है। तथापि, चूंकि भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची-II के अंतर्गत भूमि राज्य का विषय है, इसलिए अनेक राज्य सरकारों ने भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा के संबंध में विभिन्न नीतियां बनाई हैं। आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकारें अपनी नीतियों को 2015 के मार्ग अधिकार दिशानिर्देशों और 2020 शहरी मार्ग अधिकार दिशानिर्देशों के अनुसार बनाएं क्योंकि इससे परियोजना लागत और ऐसे प्रतिकर को निश्चितता मिलेगी जो भूमि मालिक पाने के हकदार है।

10.3 इसके अलावा, भारतीय तार अधिनियम, 1885 लगभग डेढ़ शताब्दी से लागू है। हालांकि बार-बार संशोधन किए गए हैं, आयोग का यह मानना है कि दूरसंचार के क्षेत्र में की गई प्रगति और उन्नति को आगे बढ़ाने और वर्तमान अधिनियम द्वारा छोड़ी गई कमियों को दूर करने के लिए संसद द्वारा एक नया कानून अधिनियमित किया जाना चाहिए, जो समय और परिवेश के अधिक अनुकूल हो। आयोग की यह भी राय है कि प्रतिकर से संबंधित मुद्दे को सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक संपत्तियों के लिए अलग-अलग उपबंधों के साथ नए कानून में पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

10.4 गैर-सार्वजनिक संपत्तियों के संबंध में, दूरसंचार क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनियों और निजी संपत्तियों के मालिकों के बीच मौजूद शक्ति असंतुलन को ध्यान में रखते हुए, आयोग यह प्रस्ताव करता है कि इस व्यवस्था को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यप्रणाली निर्धारित की जाए। यह न्यूनतम किराये / समेकित मूल्य या संपत्ति के कुल किराये / समेकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में हो सकता है।

10.5 एक अलग टिप्पण के रूप में, आयोग का यह विचार है कि कतिपय सिद्धांतों को उचित और न्यायसंगत प्रतिकर के निर्धारण का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं (अध्याय 9 को भी संदर्भित किया जा सकता है) :

(क) भूमि की स्थिति (अर्थात् ग्रामीण भूमि, अर्ध-शहरी या अर्ध-ग्रामीण भूमि, शहरी भूमि) ;

(ख) भूमि की गुणवत्ता और प्रकृति (अर्थात् कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि, सिंचित भूमि, गैर-सिंचित भूमि, बंजर भूमि, फल-वाली, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, वाणिज्यिक भूमि, औद्योगिक भूमि, वन भूमि) ;

(ग) समान आसन्न भूमि की पूर्व अवधारित मूल्यांकन दर ; और;

(घ) कोई अन्य प्रासंगिक कारक।

आयोग तदनुसार सिफारिश करता है।

---XXX---

ह०/-

[न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी]
अध्यक्ष

ह०/-

[न्यायमूर्ति के. टी शंकरन]
सदस्य

ह०/-

[प्रो. (डा.) आनन्द पालीवाल]
सदस्य

ह०/-

[प्रो. डी. पी. वर्मा]
सदस्य

ह०/-

[श्री के. विस्वाल]
सदस्य सचिव

ह०/-

[डा. नितिन चंद्रा]
सदस्य सचिव और सदस्य पदेन

ह०/-

[डा रीता वशिष्ठ]
सदस्य पदेन